



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

Circular No.11/2022

Dated: 22nd August 2022

C I R C U L A R

Sub: Submission of Pending Monthly returns by the Dealers of Cardamom- reg.

As per the terms and conditions for grant of Dealer Licence for Cardamom (Small & Large) issued in accordance with the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987 & subsequent Amendments, every Licensed Dealer of Cardamom(Small & Large) shall send a monthly return in the prescribed format so as to reach the Board on or before 10th day of succeeding month.

A 'Nil' return for the corresponding period should be submitted even though no purchase/sales is made.

Accordingly, all the Dealers are required to furnish all the pending Monthly Returns for the year 2019-20, 2020-21 and 2021-22 on or before 30th September 2022. In this regard, it is informed that the renewal of Dealer Licence shall be subject to submission of Monthly Returns.

E-mail id for submission: tis.sb-ker@gov.in


Director (Mktg)

All Registered Dealers of Cardamom (Small & Large)
(Issued from MKTG/STS/GEN/CIRCULAR/01/2020)



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

परिपत्र सं. 11/2022

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

दिनांक : 22 अगस्त, 2022

परिपत्र

विषय : इलायची के ब्यौहारियों द्वारा लंबित मासिक विवरण का प्रस्तुतीकरण -बाबत

इलायची (अनुज्ञप्तीकरण एवं विपणन) विनियम, 1987 और अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार जारी किए जानेवाले इलायची(छोटी व बड़ी) के ब्यौहारी लाइसेन्स प्रदान किए जाने की शर्तों व निबंधनों के अनुसार, इलायची(छोटी व बड़ी) के हर लाइसेंस प्राप्त ब्यौहारी अगले महीने के 10वें दिन को या उससे पहले स्पाइसेस बोर्ड को निर्धारित प्रपत्र में मासिक आधार पर विवरणी प्रस्तुत करेगा।

यद्यपि कोई विक्रय/बिक्री नहीं की गई है तो भी, संबंधित अवधि के लिए संबद्ध एक 'शून्य' विवरणी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

तदनुसार, ब्यौहारियों द्वारा वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए लंबित सभी मासिक विवरण 30 सितंबर, 2022 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि ब्यौहारी लाइसेन्स का नवीकरण, मासिक विवरण प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

प्रस्तुतीकरण के लिए ई-मेल: tis.sb-ker@gov.in

वशिष्ठ गारुड

निदेशक(विपणन)

इलायची(छोटी व बड़ी) के सभी पंजीकृत ब्यौहारी

(विपणन/एसटीएस/सामान्य/परिपत्र/01/2020 से जारी)